राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
NIRDPR
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

www.nirdpr.org.in
संख्या: 309

प्रगति

समाचार पत्र

फरवरी 2021

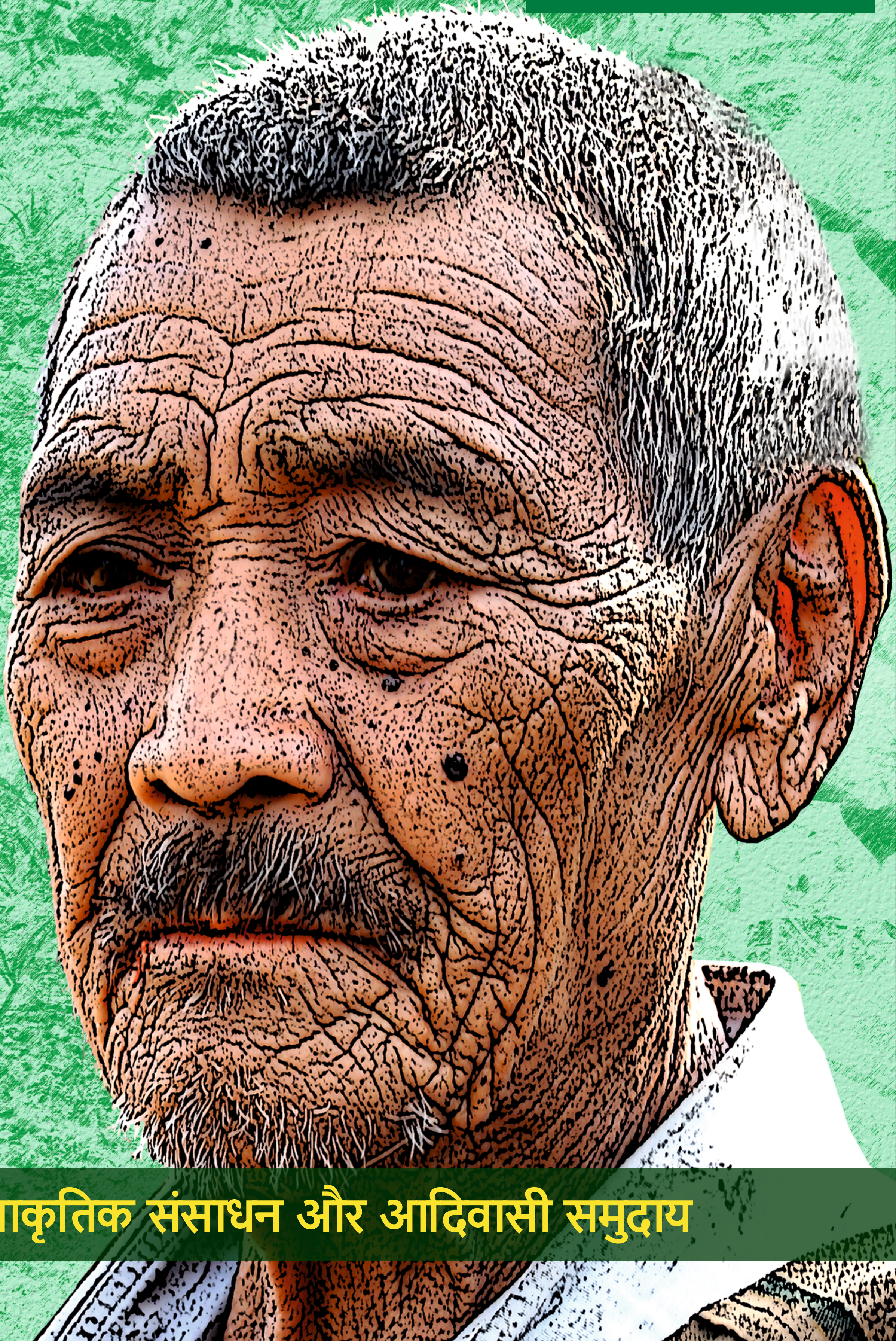

भारत में प्राकृतिक संसाधन और आदिवासी समुदाय

आवरण कहानी:
भारत में प्राकृतिक संसाधन और आदिवासी समुदाय
पृष्ठ 3 - 5

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

सीआरपी, एसएचजी, वीओ और बीएलएफ के सुदृढ़ीकरण के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम.......... 6

सुशासन के लिए सामाजिक जवाबदेही उपकरण पर क्षेत्रीय सहयोगात्मक ऑनलाइन टीओटी.......... 7

जिला पंचायत विकास योजना की तैयारी पर राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण.......... 8

ग्रामीण उद्यमियों के लिए कोविड़-19 सहायता कार्यक्रम.......... 9

किफायती नवप्रवर्तन और ग्रामीण उद्यमिता - कोविड़-19 उपरांत स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य.......... 10

(नितान्त बाएं) कुनी जुआंग, एक 70 वर्षीय महिला, साल के पत्तों की थालियां तैयार करती हुई

भारत में प्राकृतिक संसाधन और आदिवासी समुदाय

भारत में आदिवासियों को भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति में रखा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार 104 मिलियन जनता में से देश की कुल आबादी में उनका हिस्सा 8.6 प्रतिशत हैं। भारत के मानव विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में 461 आदिवासी समुदाय हैं। औपचारिक शिक्षा की कमी, कुपोषण, आधारभूत संरचना और खराब स्वास्थ्य सुविधाएँ आदि के कारण ये समुदाय अविकसित अवस्था में हैं। पारंपरिक सांस्कृतिक जानकारी से वह जीविका के लिए भूमि, जल और जंगल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा के साथ समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के बावजूद, शायद ही वे एक स्वस्थ जीवन स्तर की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इसलिए, योजनाकारों द्वारा एक अलग विकास दृष्टिकोण अपनाने के लिए यही सही समय है, जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के संदर्भ में समुदायों की आवश्यकता और उनकी समझ को अलग करने में मदद करेगा।

आदिवासी विकास में सांस्कृतिक और पर्यावरण सम्बन्धी विचारों को शामिल करने के लिए, संभवतः प्राकृतिक संसाधन-आधारित विकास योजना एवं प्रबंधन के लिए एक व्यापक रणनीति प्रतिपादित करने की आवश्यकता है। उनकी सांस्कृतिक धारणाओं और मूल्यों पर विचार करके समुदाय की भागीदारी के आधार पर संसाधन नियोजन और विकास के लिए यह विस्तृत मानक ढांचा प्रदान करेगा। यह लेख भूमि, जल और जंगल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए आदिवासी समुदाय के पारंपरिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर प्रकाश डालता है।

प्राकृतिक संसाधनों को अलौकिक जीवों के रूप में मान्यता दी गयी है। यदि संसाधनों को विनियोजित किया जाए और उनका उपयोग किया जाए, तो इन जीवों को सांस्कृतिक तौर पर निर्धारित तरीकों से मूल्यांकित किया जाना चाहिए।

आजीविका उत्पादन की प्रक्रिया में विश्व के विभिन्न समुदायों ने अपने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए अपने स्वयं के सामाजिक संस्थानों और सांस्कृतिक तंत्रों को विकसित किया है। बहुधा प्राकृतिक संसाधनों की यह उपयोग प्रक्रिया उनकी संस्कृति का अभिन्न अंग बनती है। मानवविज्ञानी सामाजिक और सांस्कृतिक तंत्र का अध्ययन करने के लिए एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति में हैं जिसके द्वारा समुदायों ने अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन किया है। गाँव में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन पूरे समुदाय के लिए सुलभ हैं और जिससे किसी भी व्यक्ति के पास विशेष संपत्ति अधिकार नहीं हैं। इसे सामान्य संपत्ति संसाधन (सीपीआर) के रूप में जाना जाता है। इसमें गाँव के चारागाह, सामुदायिक वन, बंजर भूमि, सामान्य थ्रेशिंग ग्राउंड , कूड़ा स्थान, जलागम, जल निकासी, गाँव के तालाब, टैंक, नदी/नाले और नदी तल आदि शामिल हैं। इनका अस्तित्व समुदायों और सीपीआर के आसपास विकसित हुई संस्थाओं के स्वरूप पर निर्भर करता है। ये स्थानीय प्राकृतिक संसाधन जरूरतमंद आबादी के लिए अधिक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक महत्व रखते हैं और समुदाय के लिए आजीविका समर्थन के रूप में महत्वपूर्ण संपत्ति हैं। ये संपत्तियां खुले तौर पर सुलभ नहीं हैं और बाहरी समुदायों को इन संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

प्राकृतिक संसाधनों की कमी तथा इनके प्रबंधन में आयी गिरावट के परिणामस्वरूप ये सामुदायिक संपत्तियां निजीकरण, अतिक्रमण और विकास के रूप में बाहरी लोगों की भागीदारी के कारण संकट में हैं। कई विद्वानों ने प्रस्ताव दिया है कि प्राकृतिक

दैनिक कार्य के बाद मंडागरा (सामुदायिक भवन) में गाँव के बड़े बुजुर्गों की बैठक

संसाधनों के प्रबंधन के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है। इस संदर्भ में प्रबंधन का तात्पर्य संसाधन प्रणाली में मानवीय हस्तक्षेप से है, जो इसे पुनः प्रचलन में लाने एवं संरक्षित करने, या इसकी उत्पादकता को बनाए रखने और इसके उपयोग को विनियमित करने की दृष्टि से है। यह हस्तक्षेप श्रम तथा सामग्री आदानों के उपयोग, संस्थानों के निर्माण या मौजूदा संस्थानों के परिवर्तन और कानून को बढ़ाने के रूप में हो सकता है।

विद्वानों ने अपने अध्ययन में जांच की कि, इन प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में प्रचलित तरीके से समुदाय अपने सांस्कृतिक जानकारी का उपयोग कैसे करता है। लोग अपनी सांस्कृतिक जानकारी का उपयोग करके प्राकृतिक परिवर्तनों को समायोजित करते हैं। प्राकृतिक व्यवस्था में, लोग अपनी आजीविका को बनाए रखने के लिए इस जानकारी के उपयोग से प्रकृति के साथ नियमित रूप से समझौता करते हैं। हालांकि, जब लोगों को नए उपायों से परिचित कराया जाता है, तो लोग और उनके संसाधन के बीच का संबंध बदल जाता है। यह प्रकृति संस्कृति के संबंध को तोड़ने की ओर आगे बढ़ता है। लोग एक नई व्यवस्था को अपनाने के लिए मजबूर होते हैं जो उनके लिए अपरिचित है। इससे लोग और पर्यावरण दोनों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इससे समुदाय के प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होता है।

प्राकृतिक संसाधनों की कमी और स्थानीय समुदायों पर इसके प्रभाव को कई विद्वानों ने उजागर किया। वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि विविधता में कमी की एक समान प्रक्रिया का विकास ही संसाधनों की पारंपरिक प्रबंधन प्रणाली में कमी और गिरावट का कारण बनता है। यह अंततः पारंपरिक संस्थागत व्यवस्था को नष्ट करने का कारण बनता है, जिसने पहले संसाधनों के निरंतर उपयोग को सुविधाजनक बनाया था

प्राकृतिक संसाधनों में कमी का एक कारण स्थानीय संसाधनों पर बाहरी हस्तक्षेप है। संपत्ति के अधिकारों में अनिश्चितता की वृद्धि एक अन्य कारण है। मान लीजिए कि एक समुदाय को लगता है कि वे एक साथ जंगल के मालिक हैं, जो उनके पूर्वजों ने उन्हें हस्तांतरित किया, लेकिन अगर उनके पास जंगल के संबंध में कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, तो संसाधनों के लिए उनके अधिकार असुरक्षित हैं। जब लोग संपत्ति के एक हिस्से के लिए अपने अधिकारों के प्रति अनिश्चित होते हैं, तो वे इसे बचाने और सुधारने के लिए निवेश करने में संकोच करते हैं। यदि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा अनिश्चित है तो लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी और इसकी प्रबंधन प्रणाली विफल हो सकती है।

विभिन्न शोधकर्ताओं के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण का एक अन्य कारण यह है कि स्थानीय स्तर पर प्रबंधन के तरीकों को कभी-कभी शासकीय प्राधिकरण द्वारा रद्द कर दिया जाता है। यह पाया गया कि साहेल, पश्चिमी अफ्रीका के कई राज्यों ने, उदाहरण के लिए, नियमों को लागू किया, जिसके फलस्वरूप जंगलों में सामुदायिक प्रबंधन प्रथानष्ट हो गयी है । ग्रामीणों ने स्थानीय रूप से गठित नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के लिए अपने अधिकार का संचालन बंद कर दिया।

शोधकर्ताओं ने पाया कि पारस्परिकता पर स्थापित व्यवहार के सामाजिक मानदंडों को तोड़ा जा सकता है। अतिरिक्त संसाधनों में निजी निवेश के लिए पारस्परिकता पर आधारित संस्थान कमजोर हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां संस्थान की स्थिति बिगड़ सकती है तब प्रबंधन की पारंपरिक व्यवस्था नष्ट हो जाती है और उन्हें संस्थानों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है जो विकल्प के रूप में कार्य कर सकते हैं, तो संसाधन उपयोगकर्ता उपेक्षित हो जाते हैं। इस पर किए गए शोध में पाया गया कि दक्षिण भारत के एक प्रतिदर्श गांव की 'पानी की टंकी' जो सिंचाई के सबसे पुराने स्रोतों में से एक है, उसके रखरखाव में सामूहिक निवेश में क्रमिक गिरावट के कारण वर्षों से खराब है ।

अनुसंधान साक्ष्य के मदों ने प्रतिबिंबित किया कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप अस्वीकार किया जाना है। उदाहरण के लिए, यह साबित हो जाता है कि उत्तर-पूर्वी केन्या के ओरमा में सार्वजनिक चारागाह भूमि के निजीकरण के एक अध्ययन ने उजागर किया कि परिवर्तन जनजाति के बुजुर्गों की सहमति से हुआ। अध्ययन ने सस्ते परिवहन और बाजार को विस्तृत बनाने के लिए इसे समर्थन दिया जिसने भूमि के निजी स्वामित्व को अधिक लाभदायक बना दिया। यह पाया गया है कि वे बुजुर्ग आर्थिक रूप से समर्थ परिवारों से थे। वास्तव में, यह पाया गया कि निजीकरण से जनजाति में असमानता आई है। इसे ध्यान में रखते हुए, संसाधन समस्या के समाधान के लिए नई संस्थाओं को डिजाईन करना और अपनाना एक कठिन काम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समूह कितना सजातीय है, उन सदस्यों को उनके संसाधनों की स्थितियों के बारे में कितनी अच्छी जानकारी है और पारस्परिकता के सामान्यीकृत मानदंड कितनी गहनता से जुड़े हैं।

फोटो के शीर्ष भाग में वन दृश्य है, दायें, बायें और मध्य में पीले रंग के भाग में क्रमशः तिल, सरसों और धान की फसल के खेत हैं।

इसलिए, उपरोक्त कारणों को देखते हुए, सवाल यह उठता है कि जब वहन क्षमता बढ़ रही है तो संसाधनों के इस ह्रास को कैसे रोका जाए। यदि संस्थागत व्यवहार संसाधनों पर बढ़ते दबाव के अनुकूल नहीं हो पा रही हैं, जो तीव्र जनसंख्या वृद्धि संसाधन में कमी ला सकती है। ग्रामीण आबादी में वृद्धि के साथ वनों की कटाई में वृद्धि और जुताई क्षेत्र में कमी हुई है।

उपरोक्त प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हमने उनके प्राकृतिक वातावरण के संबंध में आदिवासियों की सार्वजनिक संपत्ति, निजी संपत्ति और सरकारी संपत्ति के प्रति धारणा को समझने की कोशिश की है। इस लेख में एक संरचना को अपनाया गया है, जो मानती है कि आदिवासी, जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, सरकार की जानकारी के विपरीत ऐसे संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन में संसाधन को सांप्रदायिक संपत्ति मानने में उनके अपने तर्क हैं। यह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने वाले समुदाय के आंतरिक तर्क पर चलता है। यह तर्क उनकी धारणा, प्रबंधन और संसाधन उपयोग पर आधारित है। प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान अलौकिक जीवों के रूप में किया जाता है। यदि संसाधनों को विनियोजित किया जाए और उनका उपयोग किया जाए, तो इन जीवों को सांस्कृतिक तौर पर निर्धारित तरीकों से मूल्यांकित किया जाना चाहिए। ऐसे संसाधनों के उपयोग में उस विषय के प्रति आदिवासी समुदायों के तर्क को राज्य विकास अधिकारियों द्वारा गलत समझा जाता है। समुदाय के संसाधनों के उपयोग को विनियमित करने के लिए अधिकारी लगातार प्रयास करते हैं। इसके अलावा, अधिकारी समुदाय के संसाधन उपयोग के तर्क पर विचार किए बिना विकास कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। लोग प्राकृतिक संसाधनों के बारे में क्या जानते हैं, उनका उपयोग और प्रबंधन कैसे करते हैं, यह समझने के लिए उपयोगकर्ता के तर्क की समझ, संसाधनों की कमी को रोकने के लिए आवश्यक है।

इस लेख में आगे यह माना गया है कि बाहरी हस्तक्षेप सामुदायिक स्वामित्व और प्राकृतिक संसाधनों पर उनके उपयोग को प्रभावित करता है। इसलिए, लोग संसाधनों का उपयोग करने के लिए बदलती परिस्थितियों के साथ समझौता करते हैं। इस प्रक्रिया में वे राज्यों की संपत्तियों को सामुदायिक संपत्ति के रूप में मानकर प्राकृतिक संसाधनों के साथ उनके संबंधों को पुनर्परिभाषित करते हैं। सरकार का प्रस्ताव है कि समुदाय ने प्राकृतिक संसाधनों पर अपना स्वामित्व खो दिया है क्योंकि ये संसाधन राज्य के हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि उनकी पहुंच में उपलब्ध संसाधनों की देखभाल करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वे उससे अपनी आजीविका चलाते हैं। इसलिए, इन संसाधनों के रखरखाव और संरक्षण में उनकी रुचि है।

बदलती स्थिति में, हालांकि आदिवासियों द्वारा संसाधन उपयोग पद्धति बदली नहीं है, उपयोग का रूप बदल गया है। कुछ संसाधनों ने बाजार में मौद्रिक मूल्य हासिल कर लिया है। वे नए संसाधनों का उपयोग करते हैं और उन्हें अपने सांस्कृतिक तर्क का उपयोग करके अपने सांस्कृतिक ज्ञान में समायोजित करते हैं, जिससे इसे मानक रूप से स्वीकार किया जाता है। वे अपने विश्वास आस्था , अनुष्ठान और कृतज्ञता का विस्तार नए संसाधनों के लिए करते हैं और इस प्रक्रिया से वे इसे अपनी व्यवस्था के योग्य बनाते हैं। समुदाय और परिवेश में सांस्कृतिक असंतुलन से बचने के लिए, इसके संदर्भ में उठाए गए किसी भी पहलू को अन्य सांस्कृतिक तंत्र द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता है। यदि नए हस्तक्षेप को संचलनात्मक और सहभागी बनाना है, तो संसाधन उपयोग में लोगों के तर्क के साथ विकास उपयोग को आगे बढ़ाना होगा। समुदाय के लिए किसी भी नयी चीज को इस तरह से लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि वे सांस्कृतिक रूप से समायोजित कर सकें।

डॉ. सत्य रंजन महाकुल
सहायक प्रोफेसर
समता एवं सामाजिक विकास केंद्र
एनआईआरडीपीआर

आवरण पृष्ठ रचना: **श्री वी.जी. भट्ट**

सीआरपी, एसएचजी, वीओ और बीएलएफ के सुदृढ़ीकरण के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनसीआरपी के साथ बातचीत के दौरान डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (बाएं से 5 वें)

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास निदेशालय, पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) पोर्ट ब्लेयर के सहयोग से (दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, संसाधन सेल (डीएवाई-एनआरएलएम आरसी), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) हैदराबाद ने आंतरिक समुदाय स्रोत व्यक्ति (आईसीआरपी) एवं ग्राम संगठन (वीओ), पदाधिकारियों (ओबी) और कार्यकारी समिति (ईसी) के सदस्यों के लिए दो बैचों में तेरह दिन के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

एनआईआरडीपीआर, एनआरएलएम-आरसी शुरू से ही एएनआईएसआरएलएम का समर्थन करता रहा है और विभिन्न हितधारकों के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

अपनी क्षमता निर्माण गतिविधियों के एक भाग के रूप में, एनआरएलएम-आरसी ने छह ब्लॉकों अर्थात् प्रोथरापुर, फेरारजंग, छोटा अंडमान, मायाबंदर, डिगलीपुर और रंगत में 18 राष्ट्रीय समुदाय स्रोत व्यक्तियों (एनसीआरपी) को तैनात किया।

प्रशिक्षण दो चरणों में आयोजित किया गया था। पहले चरण में 74 से अधिक पंचायतों के कुल 1,132 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। पहले चरण (3 -15 फरवरी 2021) के दौरान ग्राम संगठन (वीओ), पदाधिकारी (ओबी) और कार्यकारी समिति (ईसी) के सदस्यों के लिए शासन एवं वित्तीय प्रबंधन, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर आईसीपीआर की पुनश्चर्या प्रशिक्षण और बीएलएफ

ईसी प्रशिक्षण के दौरान एक सत्र (राजगट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह)

प्रतिपादन प्रक्रिया पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। दूसरे चरण में एसएचजी और वीओ की लेखा बही एवं लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षण प्रगति पर है। एनसीआरपी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के इन पांच ब्लॉकों में पांच ब्लॉक-स्तरीय महासंघ का गठन किया।

डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने 3 से 15 फरवरी, 2021 तक अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए प्रतिनियुक्त राष्ट्रीय समुदाय स्रोत व्यक्तियों (एनसीआरपी) के साथ बातचीत की और उनके कार्य की सराहना की।

महानिदेशक ने आईसीआरपी के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), शासन एवं वित्तीय प्रबंधन पर ग्राम संगठन (वीओ), पदाधिकारियों (ओबी) तथा कार्यकारी समिति (ईसी) के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लेखा बही आदि पर प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों का विस्तार करने की सिफारिश की। उन्होंने मॉडल सीएलएफ विन्यास में अपनी सेवाओं का उपयोग करने और एनसीआरपी के व्यावसायिक संघ का विस्तार 70 से 100 तक करने का भी सुझाव दिया। कार्यक्रम का समन्वय डॉ. वाई. रमना रेड्डी, निदेशक, श्री टी. रवींद्र, मिशन प्रबंधक और सुश्री शेफाली, युवा पेशेवर, डीएवाई एनआरएलएम आरसी, एनआईआरडीपीआर ने किया।

सुशासन के लिए सामाजिक जवाबदेही उपकरण पर क्षेत्रीय सहयोगात्मक ऑनलाइन टीओटी

सुशासन के लिए सामाजिक जवाबदेही उपकरण पर ऑनलाइन टीओटी के दौरान प्रस्तुत स्लाइड

15 -26 फरवरी, 2021 के दौरान सुशासन एवं नीति विश्लेषण केंद्र (सीजीजीपीए), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद ने बहुविषयक अध्ययन विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (डीआईएस-एचपीयू) के सहयोग से 'सुशासन के लिए सामाजिक जवाबदेही उपकरण' पर दो सप्ताह का क्षेत्रीय सहयोगी ऑनलाइन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम का आयोजन किया।

सुशासन निर्णय लेने और लागू करने की प्रक्रिया है। यह 'सही' निर्णय लेने के बारे में नहीं है, लेकिन उन निर्णय लेने के लिए सर्वोत्तम संभव प्रक्रिया के बारे में है। सुशासन जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का अनुपालन, तत्परता, न्यायसंगत एवं समावेशी, प्रभावी तथा कुशल और भागीदारी जैसी विशेषताओं का एक संयोजन है।

कल्याणकारी राज्य में सामाजिक, आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक नीति तैयार और कार्यान्वित की जाती है। सार्वजनिक नीति शासन का एक अभिन्न अंग है जो पहले समीक्षात्मक विश्लेषण से और बाद में कुशल शासन सुनिश्चित करने से जुड़ी होती है।

सामाजिक जवाबदेही को उस जवाबदेही के सृजन की दिशा में एक दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो नागरिक सहभागिता पर निर्भर करता है, अर्थात् जिसमें सामान्य नागरिक और / या नागरिक समाज संगठन हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जवाबदेही की मांग में सहभाग करते हैं (विश्व बैंक 2004)। इस नागरिक सहभागिता का उद्देश्य नागरिकों से मांग को प्रोत्साहित करना है और इस प्रकार राज्य या निजी क्षेत्र पर अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए, गुणवत्ता सेवाएं प्रदान करने के लिए दबाव डालना है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन चक्र के विभिन्न चरणों को लागू करते समय इस समीकरण का आपूर्ति पक्ष राज्य क्षमता निर्माण और जवाबदेही के संबंध में है।

सामाजिक जवाबदेही उपकरण विकास व्यवसायियों को जानकारी के साथ मांग करने और अंततः स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर शासन में सुधार करने में सक्षम बनाता हैं। सीखने के लिए सामाजिक जवाबदेही उपकरण आवश्यक हैं, क्योंकि अधिकांश सार्वजनिक नीतियाँ लक्ष्य उन्मुख हैं, औसती परिणाम और लक्ष्य को निर्धारित करने वाली एवं निर्णय केंद्रित हैं।

इस प्रकार सुशासन के लिए सामाजिक जवाबदेही उपकरण पर ऑनलाइन टीओटी का लक्ष्य निम्नलिखित उद्देश्यों पर चर्चा करना है।

- प्रतिभागियों के समक्ष कल्याणकारी राज्य की संकल्पना और इसकी नीतियाँ उजागर करना
- मौजूदा नीतियों में शासन की कमियों और अंतरालों की पहचान करना
- प्रतिभागियों को विभिन्न सामाजिक जवाबदेही उपकरण सीखने में सक्षम बनाना
- ग्रामीण विकास के मौजूदा फ्लैगशिप कार्यक्रमों के विश्लेषण के लिए उन उपकरणों को लागू करना
- उपकरणों की जांच करना और स्थापित करना
- बेहतर सेवा वितरण के लिए सामाजिक जवाबदेही उपकरण के प्रति प्रतिभागियों को जानकारी और कौशल से लैस करना
- यह विशेषज्ञता प्रतिभागियों को ज्ञान और साधन प्रदान करेगी जिसकी आवश्यकता किसी संगठन को सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में व्यावसायिकता को गति देने और संपन्न करने में होती है
- प्रतिभागियों को हितधारकों की भागीदारी सहित सार्वजनिक मुद्दों के आकलन के तकनीकी पहलुओं को सीखना होगा
- उपकरणों का अनुप्रयोग लक्ष्यों की प्राप्ति, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों की पूर्ति को प्रोत्साहित करता है और सार्वजनिक कार्यालय में जनता की निष्ठा और विश्वास को बढ़ावा देता है
- प्रायोजक संगठन पहचान और बेहतर जानकारी प्राप्त करेगा

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित मॉड्यूल को शामिल करने पर बल देता हैं:

- सुशासन की अवधारणा, दृष्टिकोण और सिद्धान्त
- सामाजिक जवाबदेही की अवधारणा, दृष्टिकोण, तर्क और उपकरण
- सामाजिक जवाबदेही उपकरण तकनीकों का अनुप्रयोग - सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई)
- सामाजिक जवाबदेही उपकरण तकनीकों का अनुप्रयोग - सामाजिक लेखापरीक्षा

वेबिनार का एक स्लाइड

- सामाजिक जवाबदेही उपकरण तकनीकों का अनुप्रयोग - सामुदायिक स्कोर कार्ड (सीएससी)
- सामाजिक जवाबदेही उपकरण तकनीकों का अनुप्रयोग - बजट विश्लेषण, निधि उपयोग और भागीदारी बजट
- सामाजिक जवाबदेही उपकरण तकनीकों का अनुप्रयोग - नागरिक रिपोर्ट कार्ड (सीआरसी)

टीओटी कार्यक्रम का कार्य-क्षेत्र और आवश्यकता; सुशासन की आवश्यकता एवं महत्व, सुशासन का महत्व और सुशासन के तत्त्व; सामाजिक जवाबदेही उपकरण - बजट विश्लेषण; निधि उपयोग; भागीदारी बजट; सार्वजनिक व्यय ट्रैकिंग सर्वेक्षण (पीईटीएस); सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई); सामाजिक लेखापरीक्षा; सामुदायिक स्कोर कार्ड- सीएससी उपकरण और छह प्रमुख चरणों का विवरण: प्रारम्भिक मूल कार्य; इनपुट ट्रैकिंग स्कोर कार्ड; समुदाय द्वारा प्रदर्शन स्कोर कार्ड; सेवा प्रदाताओं द्वारा स्व-मूल्यांकन स्कोर कार्ड; इंटरफेस बैठक और कार्य योजना; संस्थानीकरण और नागरिक रिपोर्ट कार्ड का परिचय (सीआरसी); संदर्भ और औचित्य, सुविधाएँ, अनुप्रयोग, सीआरसी पद्धति, सीआरसी बनाना - सर्वेक्षण का विज्ञान; सीआरसी निष्कर्षों का प्रचार-प्रसार, प्रभावी पक्षपोषण के लिए सुझाव आदि को शामिल करते हुए विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा 'सुशासन के लिए सामाजिक जवाबदेही उपकरण' से संबंधित विभिन्न विषयों को शामिल करके इस कार्यक्रम की योजना की गई; प्रत्येक विषय के लिए प्रश्नोत्तरी, एमसीक्यू परीक्षा और नियत कार्य दिए गए थे और तदनुसार प्रतिभागियों को प्रयास करने में सफलता मिली।

संकाय सदस्य, एमबीए-ग्रामीण विकास छात्र (प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर), हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (डीआईएस-एचपीयू) के बहुविषयक अध्ययन विभाग के एमफिल और पीएचडी के शोधार्थी, पीआरआई, गैर सरकारी संगठन तथा सीबीओ के सदस्यों सहित कुल 70 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में सहभाग किया। उद्घाटन के दौरान, प्रोफेसर प्रकाश चंदेल, बहुविषयक अध्ययन विभाग आईआईएचएस के निदेशक ने सुशासन के संबंध में सामाजिक जवाबदेही साधनों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रतिभागियों को यह भी समझाया कि इन उपकरणों का उपयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कैसे किया जा सकता है।

व्याख्यान-सह-चर्चा, सभी चर्चित उपकरणों के लिए उत्कृष्ट मामला अध्ययनों को साझा और भूमिका-निर्वहन, वाद-विवाद आदि के उचित मिश्रण के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषयों को प्रस्तुत किया गया।

अंतिम दिन, प्रतिभागियों ने टीओटी से प्राप्त जानकारी पर प्रस्तुतीकरण दिया और टीओटी से मुख्य जानकारी के प्रतिकूल उनकी भावी कार्य योजना को साझा किया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सुशासन एवं नीति विश्लेषण केंद्र (सीजीजीपीए) के सहायक प्रोफेसर डॉ. के प्रभाकर ने किया।

जिला पंचायत विकास योजना की तैयारी पर राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण

पंचायती राज, विकेंद्रीकृत योजना एवं समाजिक सेवा वितरण केंद्र,एनआईआरडीपीआर ने 17 फरवरी, 2021 को 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों और राज्य नोडल अधिकारियों के लिए जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) की तैयारी हेतु एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों की टीम को जिला पंचायत स्तर पर योजना के संदर्भ और महत्व पर केंद्रित करना और डीपीडीपी की तैयारी के केंद्र-बिंदु, चरणों तथा कार्यप्रणाली को समझने में उनका मार्गदर्शन करना था।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, पंचायती राज मंत्रालय के डॉ. चंद्रशेखर कुमार, अपर सचिव ने पंचायतों के सभी तीन स्तरों की स्वायत्तता को साकार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर दिया कि जीपी स्तर पर योजना के सुधार को प्रस्तावित करने में लगभग 30 साल लग गए और अब हमने ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) एवं डीपीडीपी की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया है। उन्होंने डीपीडीपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए छह बिंदुओं का प्रस्ताव दिया जैसे कि संसाधन जुटाने की तैयारी, डीपीडीपी में बीपीडीपी मुद्दों और जीपीडीपी मुद्दों का एकीकरण, तीनों स्तरों में सेवा वितरण को शामिल करना, स्व-स्रोत राजस्व, सभी तीन स्तरों में ई-शासन और सभी स्तरों में नियंत्रण कक्षों की स्थापना।

एस डी जी का कार्यान्वयन

जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) की तैयारी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्लाइड

प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित विषय शामिल हैं: i) एसडीजी का स्थानीयकरण और डीपीडीपी में उनका एकीकरण, ii) बीपीडीपी, जनगणना, एसईसीसी, एमए, जीआईएस, लाइन विभागों से निर्गत डेटा और जिला पंचायतों के प्राथमिक डेटा का संग्रह एवं समेकन, iii) डीपीडीपी में उनके एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं, क्षेत्र, विषय और मुद्दे, iv) एक एकीकृत, अभिसारी और गुणात्मक पद्धति में डीपीडीपी की तैयारी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, केंद्र-बिंदु, चरण और कार्यप्रणाली; v) डीपीडीपी के लिए एमओपीआर के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल का उपयोग, vi) बीपीडीपी - आधारित डीपीडीपी की चुनौतियाँ और विभिन्न संस्थानों / हितधारकों की जिम्मेदारियाँ।

बातचीत के दौरान, प्रतिभागियों ने लाइन विभागों की कम भागीदारी, निजी स्रोत राजस्व (ओएसआर) का निर्माण और योजना प्रक्रिया में संसाधन जुटाने के बारे में विभिन्न मुद्दों को उठाया। सभी मुद्दों पर स्रोत व्यक्तियों द्वारा उदाहरण के साथ विस्तार से जवाब दिया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में, अधिकांश प्रतिभागियों ने उनके राज्यों में डीपीडीपी की तैयारी के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया साझा की। अंडमान निकोबार की राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक सुश्री सुनीता दास ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम उपयुक्त था और डीपीडीपी तैयार करने एवं सूत्रीकरण के चरणों पर जोर देते हुए विषयों को बेहतर तरीके से कवर किया गया।

कार्यक्रम का संयोजन डॉ.अंजन कुमार भँज, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, एनआईआरडीपीआर, श्री दिलीप कुमार पाल, मॉडल जीपी क्लस्टर के परियोजना टीम लीडर, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, एनआईआरडीपीआर और मॉडल जीपी क्लस्टर की परियोजना प्रबंधक इकाई टीम ने किया।

ग्रामीण उद्यमियों के लिए कोविड़-19 सहायता कार्यक्रम

अपनी किराने की दुकान पर श्रीमती मिथिला मांझी

कोविड़-19 महामारी से सभी क्षेत्रों के उद्यमी प्रभावित हुए हैं। गैगांव ग्राम पंचायत, केसिंगा ब्लॉक, कालाहांडी जिला की श्रीमती मिथिला मांझी जैसे कई ग्रामीण उद्यमियों की विकास संभावनाएं बाधित हुईं। उन्होंने प्रति वर्ष 20,000 रुपये की आय अर्जित की है जिसमें मकई और चावल शामिल है। उसके पति श्री मुक्तेश्वर मांझी ने अपने मौसमी व्यवसाय से प्रति वर्ष रू. 40,000 की कमाई की। इसके अतिरिक्त वह किराना व्यवसाय से भी रू. 90,000 की कमाई करते थे।

उनकी सीमित आय से जीवन आसान नहीं था क्योंकि उन्हें दवाइयों, अपने बच्चों की शिक्षा और अन्य बुनियादी जरूरतों की लागत को पूरा करना पड़ता था। संबंधित सीआरपी से प्रेरित होने के बाद, श्रीमती मिथिला मांझी एक एसएचजी में शामिल हुईं। कम आय अर्जित करने के बावजूद, उन्हें एसएचजी द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय प्रबंधन प्रशिक्षण में अपनी भागीदारी और सहभागिता के बाद, बचत की अहमियत और महत्ता का एहसास हुआ।

श्रीमती मांझी ने संबंधित सीएलएफ द्वारा सूक्ष्म निवेश योजना तैयार करने के बाद उचित चैनल के द्वारा स्वयं सहायता समूह से ऋण लिया। बुधराजा एसएचजी ने उसे क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन और ग्राम पंचायत स्तरीय फेडरेशन के माध्यम से किराने की दुकान के कारोबार को फिर से मजबूत करने के लिए ऋण प्रदान किया। उसने किराने की दुकान में स्टॉक बढ़ाने के लिए ऋण राशि का निवेश किया।

आमतौर पर, श्रीमती मांझी उस समय दुकान संभालती थी, जब उनके पति खेती में व्यस्त रहते थे और मौसमी व्यवसाय पर ध्यान देते हैं। कोविड़-19 महामारी के दौरान, उनके पति का मौसमी व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चला। यहां तक कि किराने की दुकान से दैनिक आय कम हो गई। इस बीच में, परिवार ने मकई की खेती में पूरे पैसे का निवेश किया था। बिना किसी आय के, उन्हें कई वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महामारी के दौरान, सरकार द्वारा जारी कोविड़-19 के कड़े दिशानिर्देशों के कारण उन्हें दो महीने तक अपनी दुकान को बंद करने के लिए प्रति दिन 250 रुपये का नुकसान सहना पड़ा। उनकी आर्थिक स्थिति इस हद तक बिगड़ गई कि वे अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं कर सके।

स्थिति की गंभीरता और परिवार की आर्थिक स्थिति का एहसास होने के बाद, एसएचजी सदस्यों ने जीपीएलएफ की बैठक के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित किया और 13 अक्तूबर, 2020 को कोविड़-19 सहायता कार्यक्रम (सीएपी) के तहत श्रीमती मिथिला मांझी को रू. 20,000 का ऋण मंजूर किया।

उन्होंने किराने की दुकान में पैसा निवेश किया और वर्तमान में उनके पति भी उनके मौसमी व्यवसाय के रूप में चावल की खरीद में व्यस्त हैं।

बिक्री में वृद्धि हुई है और वह उचित लाभ कमा रही है और बिक्री से प्रति दिन रू. 300 कमा रही है। वह अपनी दुकान में कुछ फैंसी आइटम जोड़कर अपनी बिक्री को बढ़ने की योजना बना रही है। वह जीपीएलएफ और ओडिशा आजीविका मिशन (ओएलएम) से समय पर वित्तीय सहायता के लिए संगठन का आभार मानती है।

श्री सौम्य रंजन महापात्रा,
ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, केसिंगा ब्लॉक,
कालाहांडी जिला
श्री अनुराग कुशवाहा,
पूर्व युवा पेशेवर,
ओडिशा आजीविका मिशन

किफायती नवप्रवर्तन और ग्रामीण उद्यमिता - कोविड़-19 उपरांत स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य

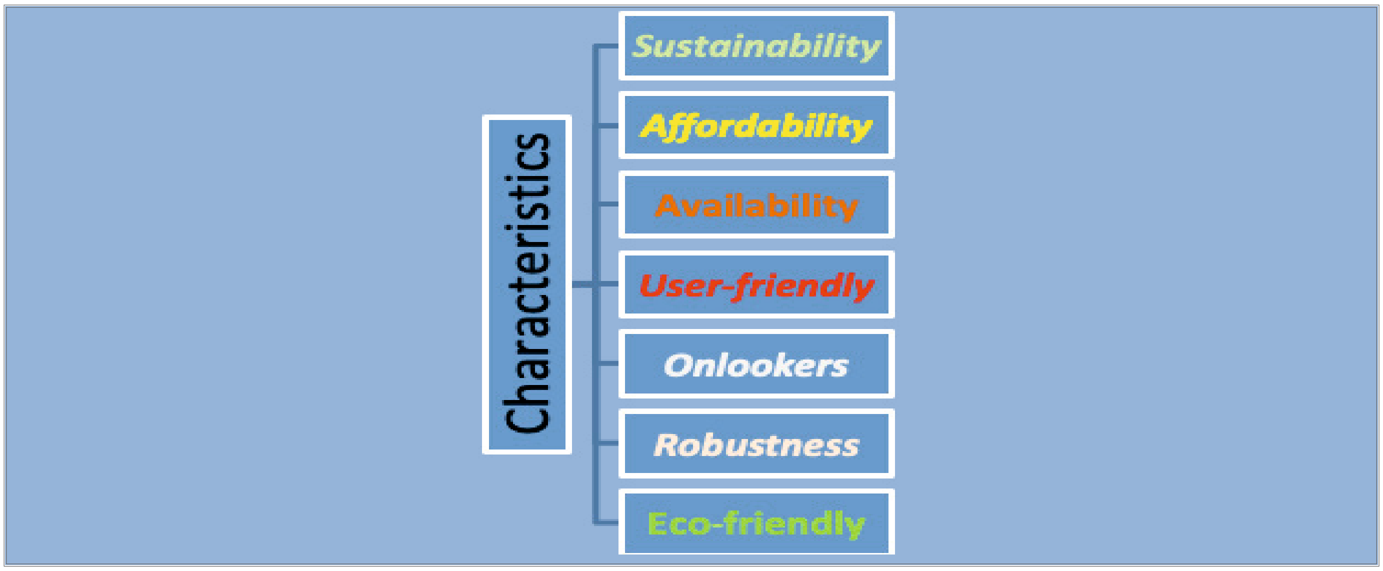

नवप्रवर्तन को भारत की वृद्धि दर में बढ़ोतरी से गरीबी को कम करने में मदद करने और जीवन स्तर में सुधार करने में एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखा जाता है। किफायती नवप्रवर्तन सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में अवसरों को खोजने की आसन कला है और सरल साधनों का उपयोग करते हुए एवं कम प्रयास में अधिक हासिल करने के उपाय-कुशल बेहतर समाधान हैं। भारत का लगभग 90 प्रतिशत कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जो आमतौर पर कम उत्पादकता और कम कौशल वाली गतिविधियों की औसतन विशेषता है, और अनौपचारिक कृषि क्षेत्र में 60 प्रतिशत बहुसंख्यक कार्यरत हैं। इस प्रकार भारत कम विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा रचनात्मक प्रयासों को बढ़ावा देकर ग्रामीण स्तर के नवाचार को प्रोत्साहित करने से लाभान्वित होगा।

किफायती नवप्रवर्तन का तात्पर्य सबसे बेहतर तरीके से सुरक्षित और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करने की क्षमता से है। स्वास्थ्य देखभाल की परिस्थितियों और जिम्मेदारियों को देखते हुए, इसका मतलब निम्न गुणवत्ता नहीं है। 'जुगाड़' शब्द सहज कामचलाऊ उपाय की छवि को प्रदर्शित करता है और उसके विलक्षण एवं अप्रत्याशित प्रयोग भी हैं, जैसे कि पंजाब में लस्सी (दही आधारित पेय) बनाने के लिए बेसिक वाशिंग मशीन या पूर्णकालिक पेशेवरों द्वारा शहर की गलियों में चाकुओं को तेज करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली साइकिल।

कुछ नवप्रवर्तकों ने ऐसी स्थितियों को बदल दिया है। उदाहरण के लिए, डॉ. पी. के. सेठी, जिन्होंने जयपुर फुट का सह-आविष्कार किया, जिसे जयपुर लेग के नाम से भी जाना जाता है, जिन लोगों के घुटने के नीचे के हिस्से का विच्छेदन किया गया उन लोगों के लिए यह रबड़-आधारित कृत्रिम पैर है।

इसी तरह, मनसुख भाई प्रजापति द्वारा स्थापित मिट्टीकूल कंपनी ने मिट्टी को ठंडा करने वाले गुणों का उपयोग किया और मिट्टी से बने कम लागत वाले बर्तन , बायोडिग्रेडेबल रेफ्रिजरेटर का निर्माण किया।

उद्यमी सुश्री निर्मला कंदलगांवकर ने 'विवाम एग्रोटेक' नामक एक विश्वसनीय अपशिष्ट प्रबंधन कंपनी की स्थापना की, जो कृमि-खाद, खाद, बायोगैस से बिजली उत्पादन, कार्बन क्रेडिट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट जल उपचार के क्षेत्रों में क्रियाशील है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, एडिडास, रोथि और वेजा द्वारा रिसायकिल किए गए प्लास्टिक के साथ स्पोर्ट्स शूज़ का निर्माण किया जा रहा है, ये कंपनियां समुद्र में फेंकी गई अनगिनत बोतलों को बाहर निकालकर उन्हें उपयोग में लाती हैं।

वर्तमान सार्वजनिक-स्वास्थ्य संकट को देखते हुए, किफायती नवप्रवर्तन देखभाल की पहुंच को बढ़ने के अवसर प्रदान करती है। जबकि किफायती नवप्रवर्तन में वहन करने की क्षमता और कम लागत पर सर्वाधिक बल दिया जाता है,इसमें कई अन्य संबंधित उत्प्रेरक, दक्षता और आयाम हैं।

कोविड़-19 खतरे का जवाब देने में अब तक सामने आए उदाहरणों के संबंध में मदद करने वाले तीन दृष्टिकोण पुन: प्रयोजन, पुन: उपयोग और तीव्र परिनियोजन करना है।

सरकार द्वारा समर्थित उद्यमिता विकास एजेंसी, केरल स्टार्ट-अप मिशन (केएसयूएम) ने

‘ब्रेथ ऑफ़ होप’ जैसी पहल शुरू की है जो नवीन चिकित्सा उपकरणों को विकसित करने के लिए आईटी पेशेवरों, बायोमेडिकल इंजीनियरों और डॉक्टरों की एक अंतःविषय स्वयंसेवी टीम को एक दूसरे के निकट लाती है। असिमोव रोबोटिक्स और क्यूकोपी जैसे स्टार्ट-अप केएसयूएम का हिस्सा हैं।

सामाजिक दूरी से उत्पन्न सह-निर्माण के भौतिक अवरोध को आंशिक रूप से डिजिटल उपकरणों के अधिक उपयोग द्वारा कम किया गया है। दुनिया भर में, कोविड़-19 के जवाब में सामाजिक दूरी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रचलित शब्द रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तो एक विशेष समस्या यह होगी कि हवाई अड्डों या बस स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थानों में फैल रहे वायरस को कैसे रोका जाए।

केरल स्थित असिमोव रोबोटिक्स स्टार्ट-अप ने कार्यालय की इमारतों और अन्य सार्वजनिक स्थानों के प्रवेश द्वारों पर रोबोट तैनात किए हैं जो हैंड सैनिटाइजर देते हैं और वायरस के बारे में सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेश देते हैं। असिमोव रोबोटिक्स द्वारा विकसित रोबोटों को अस्पताल के आइसोलेशन वार्डों में भोजन और दवाइयाँ देने के लिए तैनात किया जा रहा है, इससे चिकित्सा कर्मचारियों पर दबाव कम हुआ है।

संकटपूर्ण देखभाल के लिए वेंटिलेटर की कमी के प्रत्युत्तर में, नोका रोबोटिक्स (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी-कानपुर), एरोबियोसिस नवप्रवर्तन (आईआईटी-हैदराबाद) और AgVa हेल्थकेयर जैसे स्टार्ट-अप कम लागत वाले, आसानी से उपयोग किए जाने वाले और पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित कर रहे हैं जिन्हें भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भी तैनात किया जा सकता है। इन वेंटिलेटरों को स्थापित करने से पहले चिकित्सा विनियामक अनुमोदन की आवश्यकता होगी। क्लिनिक ऐप और प्रेक्टो स्टार्ट-अप उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर पर कोविड़-19 परीक्षण और डॉक्टरों के साथ ऑनलाइन परामर्श प्रदान कर रहे हैं।

एक अन्य स्टार्टअप, डूम, का दावा है कि इसने एक विशेष एंटी-माइक्रोबियल कोटिंग जुटाया है, जिसे कोरोना शील्ड कहा जाता है, जो बैक्टीरिया, शैवाल, खमीर फफूंदी, और साधनों की सतहों पर फफूंदी जैसे सूक्ष्मजीवों के विकास को रोकता है। हरियाणा राज्य के गुरुग्राम पुलिस द्वारा इसका परीक्षण किया जा रहा है। कोविड़-19 महामारी में उल्लेखनीय मितव्ययी नवप्रवर्तन प्रतिक्रियाओं के चयन में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, वेंटीलेटर मल्टीप्लायर, वेंटिलेटर के पोर्टेबल और ओपनसोर्स डिजाइन, इंटुबैषण के लिए एयरोसोल बॉक्स, आईसीयू में टास्क शिफ्टिंग, सामुदायिक स्तर पर सीएचडब्ल्यू-एलईडी प्रतिक्रिया, डीआईवाई फेस मास्क, सेल्फ-प्रोनिंग वेंटिलेशन और किफायती वेंटिलेटर मशीनें प्रमुख हैं।

किफायती नवप्रवर्तनों का लाभ कैसे उठाएं?

कोविड़-19 से उत्पन्न संकट ने आपूर्ति के व्यवधानों से सामना करने वाली कंपनियों और साथ ही उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए असंख्य चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। पिछले कुछ महीनों में वैक्सीन तथा परीक्षण किट की खोज, मनोरंजन, शिक्षा, ई-कॉमर्स और गतिशीलता के लिए डिजिटल उपयोग की स्वीकृति एवं उपलब्धता जैसी महामारी के विभिन्न पहलुओं से निपटने में नवप्रवर्तनों की अहमियत सामने आयी। महामारी से उत्पन्न विभिन्न अवरोधों पर काबू पाने के साधनों के रूप में संकट ने नवप्रवर्तनों में नवीकृत दिलचस्पी को प्रेरित किया है, इस तरह की अभिनव गतिविधियों के वित्तपोषण और इसका लाभ उठाने तथा इसे फिर से दोहराने वाले माध्यमों के बारे में चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं।

इसके अलावा, संकट ने नवप्रवर्तनों के वित्तपोषण के लिए सार्वजनिक और निजी पर भारी दबाव डाला है। इसके अतिरिक्त, राजस्व में गिरावट का सामना करना पड़ा, महामारी से प्रेरित अनिश्चितता बैंकों और निवेशकों को अधिक जोखिम वाले विकल्प की ओर बढ़ा सकती है। इससे अनुसंधान और विकास में कम खर्चीली अग्रणी नयी कंपनियों के लिए उपलब्ध वित्तपोषण के बाहरी स्रोत बहुत ही कम होंगे। चूंकि नवाचार के अधिकांश परिणाम अमूर्त संपत्ति के निर्माण के रूप में हैं, विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, पूंजी बाजार से वित्त प्राप्त करना मुश्किल है।

समकालीन समय में, भारत सहित सभी अर्थव्यवस्थाओं का सामना कर रहे वित्तीय गिरावट के साथ, शेष महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या हम नवीन कार्यों के लिए वित्त के स्रोत में कोई बदलाव देख रहे हैं। पिछले दो दशकों के दौरान, भारत देश लगभग 50,000 स्टार्ट-अप द्वारा संचालित एक मजबूत अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में कामयाब रहा, जिससे यह तीसरी सबसे बड़ी स्टार्ट-अप अर्थव्यवस्था बन गई। हाल ही में शुरू किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) 2020 की रिपोर्ट में भारत को 48 वें स्थान पर रखा गया है, पहली बार शीर्ष 50 देश में प्रवेश किया है।

देश में अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय (जीईआरडी) पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रहा है और 2007-08 में यह लगभग रू. 39,437.77 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में 13,25,825.03 करोड़ रुपये तक तीन गुना बढ़ गया है। 2018-19 में रू. 1,23,847.70 करोड़ होने का अनुमान है।

भारत की वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) श्रेणी

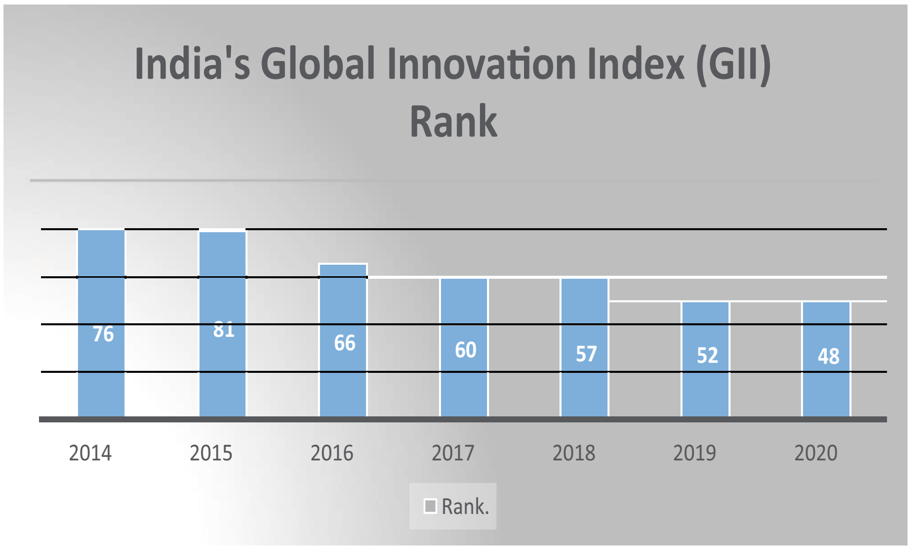

स्रोत: भारत नवप्रवर्तन सूचकांक-2014-20 की वार्षिक रिपोर्ट से परिकलित

राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास व्यय एवं जीडीपी के साथ प्रतिशतता

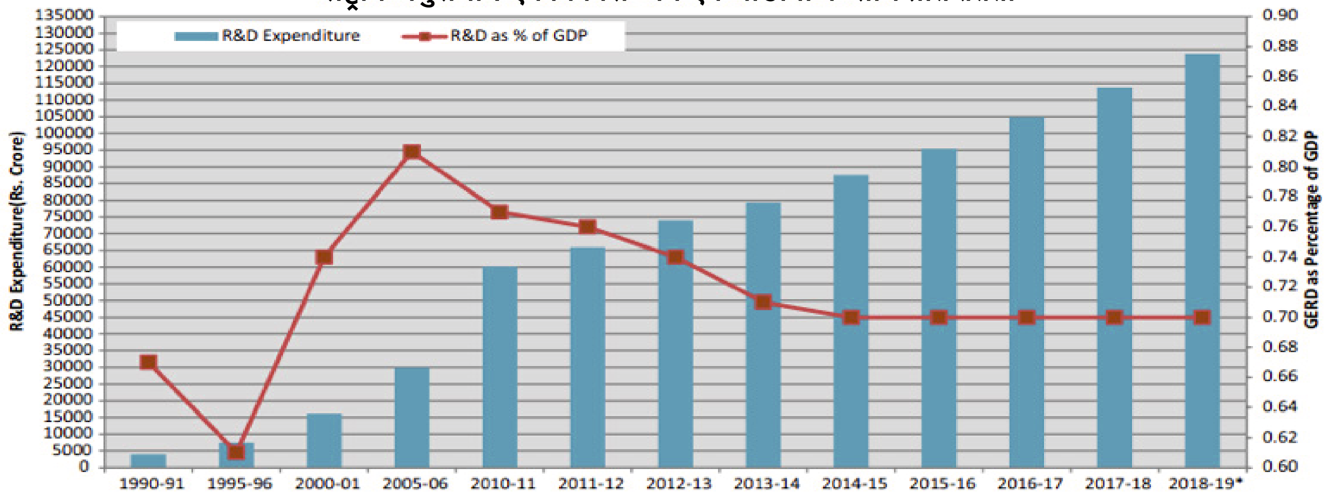

अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय (जीईआरडी)

नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया पहल, ऐक्सेलरैटिंग ग्रोथ ऑफ़ न्यू इंडिया इनोवेशन्स (एजीएनआईआई), अटल टिंकरिंग लैब्स, न्यू इन्टलेक्चूअल प्रॉपर्टी राइट्स (आईपीआर) पालिसी, स्मार्ट सिटी मिशन, उच्चतर अविष्कार योजना आदि हैं। ये सभी पहल, संस्थानों, उद्योग एवं समाज के अभूतपूर्व अनुसंधान तथा नवप्रवर्तन के साथ जुड़कर, एक अभिनव और ज्ञान केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी (आईएनएई), विज्ञान भारती के साथ साझेदारी कर रहा है ताकि ग्रामीण नवोन्मेषकों को प्रोत्साहित कर सकें और उन्हें समर्थन दे सकें, ऐसे नवाचारों पर अधिक से अधिक जागरूकता पैदा कर सकें, नए व्यापार मॉडल को सुविधाजनक बनाने और आईएनएई के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा संभावित सलाह समर्थन के साथ अग्रसर मार्गों पर कार्य-निष्पादन के विषय में विचारों, नवाचारों के लिए एक समावेशी मंच प्रदान करने हेतु 'किफायती नवप्रवर्तन' पर कार्यशाला का आयोजन कर सकें।

सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में किफायती नवाचार ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में सुरक्षित और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने में एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। हालांकि, सफल मितव्ययी नवाचारों की आउटरीच ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सीमित है और समर्थन की कमी के कारण ज्यादातर प्रयोगशाला में बनी हुई है। अधिक प्रतिबद्धता और उत्साह के साथ किफायती नवाचारों को बढ़ावा देने का यही समय है। 'स्थानिक के लिए मौखिक' के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में अपने मौजूदा ज्ञान और विशेषज्ञता के साथ उद्यमियों का एक नया कैडर बनाया जा सकता है। उद्यमिता विकास परिदृश्य पर काम करने वाली विभिन्न संस्थाओं को एकजुट होकर न केवल नए नवप्रवर्तकों के लिए सक्षम परिवेश बनाना चाहिए, बल्कि स्नातक या मौजूदा लोगों की मदद करनी चाहिए।

श्री चंदन कुमार,
अनुसंधान सहायक
सीईडीएफआई, एनआईआरडीपीआर

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030

टेलिफोन : (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473
ई मेल : cdc.nird@gov.in, वेबसाईट: www.nirdpr.org.in

डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर
श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर

सहायक संपादक: कृष्णा राज के.एस.
विक्टर पॉल
जी. साई रवि किशोर राजा

एनआईआरडी एवं पीआर
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030 की ओर से
डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी द्वारा प्रकाशित

हिन्दी संपादन:
अनिता पांडे
हिन्दी अनुवाद:
ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका